न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर (राज0)

अपील संख्या	रजि0 न0	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
11/04/2025	2025/45	03.03.2025	20.01.2026

1.विश्राम उम्र करीब 55 साल पुत्र श्री दौलत उर्फ दौलती जाति अहीर (यादव), निवासी ग्राम गोपालपुरा तहसील लक्ष्मणगढ, जिला अलवर राजस्थान।

——अपीलाण्ट

बनाम

1.धीरीसिंह पुत्र श्री दौलत उर्फ दौलती जाति अहीर (यादव), निवासी ग्राम गोपालपुरा तहसील लक्ष्मणगढ, जिला अलवर राजस्थान।
2.पूरणसिंह पुत्र श्री दौलत उर्फ दौलती जाति अहीर (यादव), निवासी ग्राम गोपालपुरा तहसील लक्ष्मणगढ, जिला अलवर राजस्थान।
3.रामपति पुत्री श्री दौलत उर्फ दौलती जाति अहीर (यादव), निवासी ग्राम गोपालपुरा तहसील लक्ष्मणगढ, जिला अलवर राजस्थान।
4.भगवती पुत्री श्री दौलत उर्फ दौलती जाति अहीर (यादव), निवासी ग्राम गोपालपुरा तहसील लक्ष्मणगढ, जिला अलवर राजस्थान।
5.बत्ती पुत्री स्वी श्री धर्मीसिंह पोत्री श्री दौलत उर्फ दौलती जाति अहीर (यादव), निवासी ग्राम गोपालपुरा तहसील लक्ष्मणगढ, जिला अलवर राजस्थान।
6.दिनेश चन्द पुत्र स्व0 श्री धर्मीसिंह पोत्र श्री दौलत उर्फ दौलती जाति अहीर (यादव), निवासी ग्राम गोपालपुरा तहसील लक्ष्मणगढ, जिला अलवर राजस्थान।
7.तहसीलदार लक्ष्मणगढ जिला अलवर राजस्थान।

—रेस्पोडेन्ट्स

राजस्व प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध आज्ञा तहसीलदार लक्ष्मणगढ जिला अलवर संशोधित दिनांक 10.10.2024 तस्दीक दिनांक 22.10.2024 नामान्तकरण विरासत संख्या 818 ग्राम गोपालपुरा तहसील लक्ष्मणगढ जिला अलवर विरासत मृतक मोहरकोर पत्नी श्री दौलत उर्फ दौलती जाति बमुराद मंसुखी उक्त आज्ञा व स्वीकार किये जाने अपील अपीलांट एवं दिलाये जाने खर्चा मुकदमा व अन्य अनुतोष।

उपस्थितः—

01. श्री ओमानन्द चौधरी — वकील अपीलाण्ट
02. श्री अंकुर यादव — वकील रेस्पोडेन्ट 1 व 6
03. राजकीय अभिभाषक — वकील रेस्पोडेन्ट 7

—:: निर्णय ::—

अपीलान्ट ने यह अपील तहसीलदार लक्ष्मणगढ जिला अलवर संशोधित दिनांक 10.10.2024 तस्दीक दिनांक 22.10.2024 नामान्तकरण विरासत संख्या 818 ग्राम गोपालपुरा तहसील लक्ष्मणगढ जिला अलवर से व्यथित होकर पेश की है। जिसके संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार से है कि आलोच्य आज्ञा तहसीलदार (भू०अ०) लक्ष्मणगढ जिला अलवर राजस्थान संशोधित दिनांक 10.10.2024 तस्दीक दिनांक 22.10.2024 नामान्तकरण विरासत संख्या 818 ग्राम गोपालपुरा तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला अलवर राजस्थान विरासत मृतक मोहरकोर पत्नि श्री दौलत उर्फ दौलती जाति अहीर (यादव) निवासी ग्राम गोपालपुरा तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला अलवर राजस्थान के हैं, जो प्रथम अपील अर्न्तगत धारा 75 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 के तहत न्यायालय श्रीमान के श्रवण योग्य हैं। अपील हाजा पर नियमानुसार न्यायालय शुल्क दो रूपया एंव तलबाना शुल्क नियमानुसार पेश किया जा रहा है। उक्त आलोच्य आज्ञा तहसीलदार

अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज०)

(भू०अ०) लक्ष्मणगढ़ जिला अलवर राजस्थान संशोधित दिनांक 10.10.2024 तस्दीक दिनांक 22.10.2024 नामान्तकरण विरासत संख्या 818 ग्राम गोपालपुरा तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला अलवर राजस्थान विरासत मृतक मोहरकोर पत्नि श्री दौलत उर्फ दौलती जाति अहीर (यादव) निवासी ग्राम गोपालपुरा तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला अलवर राजस्थान की फोटो प्रति प्रमाणित अपील के साथ संलग्न कर पेश की जा रही है। आलोच्य आज्ञा तहसीलदार (भू०अ०) लक्ष्मणगढ़ जिला अलवर राजस्थान संशोधित दिनांक 10.10.2024 तस्दीक दिनांक 22.10.2024 नामान्तकरण विरासत संख्या 818 ग्राम गोपालपुरा तहसील लक्ष्मणगढ जिला अलवर राजस्थान विरासत मृतक मोहरकोर पत्नि श्री दौलत उर्फ दौलती जाति अहीर (यादव) निवासी ग्राम गोपालपुरा तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला अलवर राजस्थान की हैं, जो आज्ञा तहत अदालत रैस्पाडैन्ट संख्या 7 द्वारा मिन अपीलान्ट को बिना सुनवाई व साक्ष्य का समुचित अवसर दियें, पारित करने के कारण मिन अपीलान्ट को पूर्व में कोई जानकारी उक्त आलोच्य आज्ञा की किसी तरह की नही थी। इसलिये समयावधि में अपील पेश नहीं की जा सकी, इसमें मिन अपीलान्ट की कोई लापरवाही या बदयान्ति नही हैं। मिन अपीलान्ट को उक्त आलोंच्य आज्ञा की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 30.01.2025 को पटवारी हल्का से मिन अपीलान्ट की माता की विरासत से प्राप्त आराजी के राजस्व रिकार्ड की नकल लेने जाने पर मौखिक रूप से हुयी। जिस पर दिनांक 31.01.2025 को नकल के लिए प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया, जो नकल दिनांक 03.02.2025 को तैयार होकर दिनांक 03.02.2025 को सांयकाल प्राप्त हुई। दिनांक 04.02.2025 को अलवर राजस्थान आकर नकल व कागजात वकील साहब को दिखाकर कानूनी राय ली गई, तो वकील साहब ने अविलम्ब अपील न्यायालय श्रीमान में पेश करने की कानूनी राय दी। इसके बाद दिनांक 05.02.2025 से अपील करने के लिए आवश्यक खर्चे का इंतजाम कर वकील साहब से अपील आदि तैयार कराकर अपील सर्वप्रथम जानकारी की दिनांक 30.01.2025 से अन्दर मियाद अदालत श्रीमान में प्रस्तुत की जा रही हैं। आलोच्य आज्ञा तहत अदालत असल रैस्पाडैन्ट संख्या 7 संशोधित दिनांक 10.10.2024 तस्दीक दिनांक 22.10.2024 से सर्वप्रथम जानकारी की दिंनाक 30.01.2025 तक का समय मिन अपीलान्ट की जानकारी के अभाव में लाइल्मी होने के कारण काबिल माफी व मियाद में मुजरा दिये जानें योग्य है। जहां आलोच्य आज्ञा आरम्भ से ही अवैध व शुन्य हों, तथा पीडित पक्षकार को बिना सुने पारित की गयी हों, वहां मियाद का बिन्दु गौण हो जाता है। ऐसी आलोच्य आज्ञा को न्यायहित में कभी भी चैलेन्ज किया जा सकता है, मियाद की कोई पाबन्दी नही हैं। ऐसा विधि का सुस्थापित सिद्वान्त है। इसलिए मियाद के बिन्दु पर नरम रूख अपनाया जाकर पेशकर्दा अपील अपीलान्ट न्यायहित मे सर्वप्रथम जानकारी की उक्त दिनांक 30–01–2025 से अन्दर मियाद ग्रहण किया जाना अतिआवश्यक हैं। जिसके लिये प्रार्थनापत्र जेर दफा 05 परिसीमा अधिनियम 1963 मय हलफनामा अलग से अदालत श्रीमान में पेश किया जा रहा है।

मिन अपीलान्ट एवं रैस्पाडैन्ट संख्या 1 लगायत 6 के परिवार का सजरा निम्नांकित हैं:–मोहरकोर (मृत दिनांक 24.12.2023) धर्मीसिंह (पुत्र मृतक), धीरीसिंह (पुत्र)– पूरणसिंह (पुत्र)– विश्राम (पुत्र)– रामपति (पुत्री) भगवती (पुत्री) तथा बत्ती पुत्री धर्मीसिंह व दिनेश चन्द (पुत्र) धर्मीसिंह।

अपीलाधीन आलोच्य आज्ञा में खाता संख्या 143 में वर्णित आराजी खसरा नम्बर हाल 320 रकबा 0.2403 ऐयर, 321 रकबा 0.0253 ऐयर, 322 रकबा 1.8209 ऐयर, 323 रकबा 0.2782 ऐयर में से 1/3 हिस्सा एवं खाता संख्या 144 में वर्णित आराजी खसरा नम्बर हाल 306 रकबा 0.8219 ऐयर में से 1/3 हिस्सा वाके ग्राम गोपालपुरा तहसील लक्ष्मणगढ जिला अलवर राजस्थान में स्थित हैं। उक्त आराजी की मिन अपीलान्ट एंव रैस्पाडैन्ट संख्या 1 लगायत 4 की माता व रैस्पाडैन्ट संख्या 5–6 की दादी मोहरकोर पत्नि श्री दौलत उर्फ दौलती जाति अहीर (यादव) निवासी ग्राम गोपालपुरा तहसील लक्ष्मणगढ जिला अलवर राजस्थान अभिलिखित काबिज काश्तकार खातेदार थी, जो आराजी मोहरकोर के हिस्से कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी हैं। मोहरकोर का स्वर्गवास दिनांक 24.12.2023 को हो चुका हैं। मिन अपीलान्ट की माता मोहरकोर ने अपने जीवनकाल में उक्त अपने हिस्से कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी की विधिवत वसीयत दिनांक 20.12.2023 को वसीकानवीस से लिखाकर उस पर स्वयं व मिन अपीलान्ट के फोटो लगाकर स्वयं व मिन अपीलान्ट व गवाहान जीतसिंह व मुकेश कुमार के हस्ताक्षर/अंगूठा कराकर कार्यालय उप पंजीयक लक्ष्मणगढ जिला अलवर राजस्थान में पंजीबद्ध कराने के लिए पेश कर दी। लेकिन उक्त वसीयतनामा उप पंजीयक के समक्ष पंजीबद्ध होने से

अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज०)

पूर्व ही आकस्मिक रूप से उक्त वसीयतकर्ता मिन अपीलान्ट की माता मोहरकोर का स्वर्गवास हो गया। मिन अपीलान्ट की माता मोहरकोर के स्वर्गवास उपरान्त उक्त वसीयतनामा के आधार पर मिन अपीलान्ट वर्तमान में मेरी माता मोहरकोर के हिस्से कब्जे काश्त खातेदारी की उक्त आराजी पर काबिज चला आ रहा है, तथा हर प्रकार से उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है। मिन अपीलान्ट की माता मोहरकोर के मरने के बाद मिन अपीलान्ट के अलावा उक्त आराजी से मृतक मोहरकोर के अन्य वारिसान रैस्पाडैन्टस संख्या लगायत 6 का कोई संबंध, वास्ता, सरोकार, कब्जा ना तो कभी रहा, ना वर्तमान में है. गैरकाबिज एवं गैरवास्ता हैं। ऐसी स्थिति में मिन अपीलान्ट की माता मोहरकोर के मरने के बाद उसकी विरासत का अपीलाधीन आलोच्य इंतकाल मिन अपीलान्ट अकेले के नाम ही दर्ज व तस्दीक होना चाहिए था। लेकिन अपीलाधीन आलोच्य इंतकाल को तहत अदालत रैस्पाडैन्ट संख्या 7 द्वारा दर्ज व तस्दीक किया गया हैं, उसमें मिन अपीलान्ट के अलावा रैस्पाडैन्ट संख्या 1 लगायत 6 का नाम भी दर्ज कर दिया गया हैं। जो कि भारी कानूनी त्रुटि हैं। इसलिए मिन अपीलान्ट की माता मृतक मोहरकोर की विरासत का अपीलाधीन नामान्तकरण अकेले मिन अपीलान्ट के हक में दर्ज व तस्दीक कराया जाना न्यायहित में अतिआवश्यक है। परन्तु रैस्पाडैन्टस संख्या 1 लगायत 6 ने मिन अपीलान्ट की माता मोहरकोर के स्वर्गवास उपरांत पटवारी हल्का, कानूनगो आदि से साजबाज होकर उसकी विरासत का आलोच्य इंतकाल मिन अपीलान्ट अकेले के हक में दर्ज व तस्दीक नही कराकर इंतकाल विरासत मृतक मोहरकोर रैस्पाडैन्ट संख्या 7 से अपने हक में भी दर्ज व तस्दीक कराया गया हैं। इसलिए अपीलाधीन इंतकाल निरस्तनीय हैं। जो काबिल गौर अदालत श्रीमान हैं।

हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के सैक्शन 14 के अनुसार हिन्दू महिला अपनी चल/अचल सम्पत्ति की पूर्ण स्वामी (एबसल्यूट ऑनर) होती हैं, जिसको अपनी सम्पत्ति की वसीयत करने का पूर्ण अधिकार हैं। जो काबिल गौर अदालत श्रीमान हैं। तहत अदालत रैस्पाडैन्ट संख्या 7 द्वारा बिना मिन अपीलान्ट को सुनवाई एंव साक्ष्य का अवसर प्रदान किये, आलोच्य आज्ञा पारित की हैं। तथा वारिसान की सही प्रकार जांच नही की गई। जो आज्ञा तहत अदालत रैस्पाडैन्ट संख्या 7 प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विपरीत व पीडित पक्षकार को बिना सुने होने के कारण काबिल निरस्त हैं। जो काबिल गौर अदालत श्रीमान हैं। रैस्पाडैन्टस संख्या 1 लगायत 6 को इस तथ्य की बखूबी जानकारी थी, कि मिन अपीलान्ट की माता मृतक मोहरकोर ने अपनी हिस्से कब्जे काश्त खातेदारी की उक्त आराजी की वसीयत अकेले मिन अपीलान्ट के हक में तहरीर व तकमील कराकर उप पंजीयक के समक्ष वास्ते पंजीयन पेश की हुई हैं। इसलिये तहत अदालत रैस्पाडैन्ट संख्या 7 को मिन अपीलान्ट के नाम व्यक्तिगत सूचना जारी कर सुनवाई का अवसर देना आवश्यक था। किन्तु तहत अदालत रैस्पाडैन्ट संख्या 7 द्वारा रैस्पाडैन्टस संख्या 1 लगायत 6 को सुनकर ही आज्ञा जेर बहस अपील पारित की गई हैं। जो आज्ञा विधि एवं प्रक्रिया के विरूद्ध होने के कारण काबिल निरस्त हैं। जों काबिल गौर अदालत श्रीमान हैं। अन्य उजरात तथ्य वक्त बहस जुबानी अदालत श्रीमान के समक्ष अर्ज किए जावेंगें। अतः अपील अपीलान्ट पेश कर निवेदन हैं, कि अपील अपीलाण्ट स्वीकार फरमाते हुयें, आलोच्य आज्ञा तहसीलदार (भू०अ०) लक्ष्मणगढ जिला अलवर राजस्थान संशोधित दिनांक 10.10.2024 तस्दीक दिनांक 22.10.2024 नामान्तकरण विरासत संख्या 818 ग्राम गोपालपुरा तहसील लक्ष्मणगढ जिला अलवर राजस्थान विरासत मृतक मोहरकोर पत्नि श्री दौलत उर्फ दौलती जाति अहीर (यादव) निवासी ग्राम गोपालपुरा तहसील लक्ष्मणगढ जिला अलवर राजस्थान निरस्त फरमायी जावें, एंव मिन अपीलान्ट की माता मृतक मोहरकोर की विरासत का इंतकाल अकेले मिन अपीलान्ट के हक में दर्ज व तस्दीक करने के हेतु आदेश प्रदान कियें जाकर प्रकरण को प्रतिप्रेषित किया जावें। खर्चा मुकदमा अपीलान्ट को रैस्पाडैन्टस से दिलाया जावें व जो अन्य उचित आज्ञा न्यायसंगत हों, बहक अपीलान्ट विरूद्ध रैस्पाडैन्टस सादिर फरमाई जावें। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पौ0 को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 6 जरिये अभिभाषक उपस्थित। रेस्पोडेंट संख्या 7 जरिये राजकीय अभिभाषक उपस्थित।

सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र दफा 05 परिसीमा अधिनियम 1963 पर विचार किया। अपील में तथ्य निहित होने से एवं माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा भी विभिन्न दृष्टान्तों में मियाद के बिन्दु पर नरमी का रूख अपनाने का सिद्धान्त प्रतिपादित किया

अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज०)

हुआ है। अतः नरमी का रूख अपनाते हुए विलम्ब को माफ कर अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

वकील उभय पक्ष की विस्तृत बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट द्वारा दौराने बहस अंकन कराया कि एक वसीयतनामा हस्ताक्षर/अंगूठा कराकर कार्यालय उप पंजीयक लक्ष्मणगढ जिला अलवर राजस्थान में पंजीबद्ध कराने के लिए पेश कर दी। लेकिन उक्त वसीयतनामा उप पंजीयक के समक्ष पंजीबद्ध होने से पूर्व ही आकस्मिक रूप से उक्त वसीयतकर्ता मिन अपीलान्ट की माता मोहरकोर का स्वर्गवास हो गया। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के सैक्शन 14 के अनुसार हिन्दू महिला अपनी चल/अचल सम्पत्ति की पूर्ण स्वामी (एबसल्यूट ऑनर) होती हैं, जिसको अपनी सम्पत्ति की वसीयत करने का पूर्ण अधिकार हैं। अतः अपील अपीलांट स्वीकार जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश को निरस्त किया जावे। वकील अपीलांट द्वारा अपील के समर्थन में हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 14 व अवतरण, अन्तरण, विनिमय तथा विभाजन एक्ट की धारा 39 इत्यादि पेश की।

वकील रेस्पोडेन्ट ने वकील अपीलांट के कथनों को नकारते हुए कथन किये कि अपीलांट द्वारा जिस वसीयत के बारे में बताया जा रहा है जो कि एक अनरजिस्टर्ड वसीयत है तथा हमारे द्वारा उस वसीयत को सिविल कोर्ट में चेलैंज कर रखा है। आराजी पैतृक है जिसे जिसकी वसीयत पर केवल एक व्यक्ति का हक नहीं हो सकता क्यूंकि वसीयत उपपंजीयक कार्यालय में रजिस्टर्ड नहीं हुआ इसलिए उसके आधार पर राजस्व रिकॉर्ड में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जा सकता। अतः अपील अपीलांट खारिज की जावे। वकील रेस्पोडेन्ट द्वारा अपनी बहस के समर्थन में 2025(2) आर0आर0टी0 1234 व 2025(2) आर0आर0टी0 858 पेश की।

राजकीय अभिभाषक द्वारा वकील अपीलांट के द्वारा प्रस्तुत कथनों को नकारते हुए कथन किये कि क्यूंकि वसीयत उपपंजीयक कार्यालय में रजिस्टर्ड नहीं हुई इसलिए उसके आधार पर राजस्व रिकॉर्ड में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जा सकता। तहसीलदार लक्ष्मणगढ द्वारा विरासत इंतकाल संख्या 818 दिनांक 22.10.2024 पूर्ण रूप से विधिक प्रक्रिया के अनुसार दर्ज व स्वीकार किया गया है। अतः अपील अपीलांट खारिज की जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया। वकील अपीलान्ट व रैस्पोडेन्ट की बहस व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का चिन्तन–मनन किया गया। अपील अपीलांट द्वारा लक्ष्मणगढ़ के नामान्तकरण विरासत संख्या 818 दिनांक 22.10.2024 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। श्रीमती मोहरकोर (मृत्यु दिनांक 24.12.2023) की कृषि भूमि पर तहसीलदार द्वारा उनके सभी कानूनी वारिसों (अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी संख्या 1 से 6) के नाम संयुक्त रूप से विरासत का नामान्तकरण खोला गया। अपीलार्थी का मुख्य आधार एक अपंजीकृत (Unregistered) वसीयत है, जिसे मोहरकोर ने अपने जीवनकाल में उसके पक्ष में लिखा था। अपीलार्थी का कहना है कि वसीयत पंजीयन हेतु पेश की गई थी, परंतु पंजीयन से पूर्व ही वसीयतकर्ता की मृत्यु हो गई। अतः भूमि केवल उसके नाम होनी चाहिए। प्रत्यर्थी एवं राजकीय अभिभाषक का तर्क है कि वसीयत पंजीकृत नहीं है और उसे सिविल न्यायालय में चुनौती दी गई है। तहसीलदार ने राजस्व नियमों के अनुसार सभी प्राकृतिक वारिसों के हक में नामान्तकरण तस्दीक कर कोई कानूनी त्रुटि नहीं की है।

पत्रावली का परिशीलन करने एवं उभय पक्ष की बहस पर मनन करने से स्पष्ट है कि अपीलार्थी स्वयं स्वीकार करता है कि वसीयत का पंजीयन (Registration) पूर्ण नहीं हुआ था। राजस्व नियमों और स्थापित विधि सिद्धांतों के अनुसार, यदि किसी वसीयत के आधार पर अन्य वारिसों के हक को खत्म किया जा रहा हो और वह वसीयत विवादित हो, तो राजस्व अधिकारी को केवल वसीयत के आधार पर नामान्तकरण नहीं खोलना चाहिए। वसीयत की प्रमाणिकता का निर्धारण करना दीवानी न्यायालय (CivilCourt) का क्षेत्राधिकार है। तहसीलदार का कर्तव्य विरासत के आधार पर वारिसों का नाम दर्ज करना है। चूंकि वसीयत प्रमाणित और पंजीकृत नहीं है, इसलिए हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत मृतक के सभी पुत्र और पुत्रियाँ समान उत्तराधिकारी माने जाते हैं। तहसीलदार ने इसी नियम का पालन करते हुए सभी वारिसों के नाम

अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज०)

दर्ज किए हैं। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत तर्कों में कोई कानूनी बल प्रतीत नहीं होता है। अपीलार्थी यदि चाहे तो सक्षम दीवानी न्यायालय से वसीयत के आधार पर अपने हक की घोषणा (Declaration) प्राप्त कर सकता है। तहसीलदार लक्ष्मणगढ़ द्वारा पारित विवादित आदेश दिनांक 22.10.2024 नामान्तकरण संख्या 818 विधिसम्मत है इसलिए उसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। पत्रावली पर आए तथ्यों के आधार पर अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज किए जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाती है। तहसीलदार लक्ष्मणगढ द्वारा दर्ज व स्वीकार विरासत इंतकाल संख्या 818 निर्णय दिनांक 22.10.2024 वाके ग्राम गोपालपुरा तहसील लक्ष्मणगढ को यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रमाणित प्रति तहत अदालत भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तामील तकमील जमा लेख भण्डार हो।

निर्णय आज दिनांक 20.01.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्या० अति० जि० कले० एवं अति० जि० मजि० राजस्थान सरकार प्रशासन (द्वितीय) अलवर

(योगेश कुमार डागुर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
(द्वितीय) अलवर (राज0)